**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1786**

**06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत दिशानिर्देशों में संशोधन**

**1786. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रमः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार स्थानीय आपदा के कारण धान की फसल को होने वाले नुकसान को शामिल करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए कोई उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

**(क) से (ग)** धान की फसल को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और प्राकृतिक आग और फसलोपरान्‍त नुकसान के स्थानीय जोखिमों के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। तथापि, धान और पटसन जैसी हाइड्रोफिलिक फसलों, जिनकी वृद्धि के लिए जल ठहराव फायदेमंद होता है, को स्‍थानीय आप्‍लावन जोखिम के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। तथापि, फसल बीमा योजनाओं में संशोधन/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्‍न हितवर्गों से समय-समय पर प्राप्त सुझावों/अभ्यावेदनों पर विभिन्न हितधारकों के परामर्श के बाद निर्णय लिए जाते हैं।

\*\*\*\*